

न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील -----जिला डिण्डौरी (म.प्र.)

मा० क्र० (ब-121) 2005
2006

स्थानीय निवासी प्रमाण - पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति/कुमारी

आ० पिता/पति का नाम श्री

माता का नाम निवासी ग्राम

तहसील जिला मध्यप्रदेश का निवासी

है क्योंकि वह :-

1. मध्यप्रदेश में पैदा हुआ है / हुई है अथवा
 2. वह पालक/वैध अभिभावक मध्यप्रदेश में निरंतर कम से कम 15 वर्षों से रह रहा/रही है , अथवा
 3. उसके पालकों में से कोई राज्य शासन में सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी है, अथवा केन्द्रीय शासन का अधिकारी / कर्मचारी या भूतपूर्व सैनिक हो, अथवा
 4. वह स्वयं अथवा उसके पालक राज्य में पिछले पांच वर्षों से कोई अचल सम्पत्ति, उद्योग अथवा व्यवसाय रखते हैं
 5. मध्यप्रदेश में सवैधानिक या अन्य विधिक (Statutory) पदों पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया हो, अथवा इसके अतिरिक्त
1. उसने मध्यप्रदेश में किसी भी शिक्षण संस्था में तीन वर्ष तक सफलता पूर्वक शिक्षा प्राप्त की हो, अथवा
 2. मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी के बच्चों द्वारा यदि मध्यप्रदेश के बाहर की शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा ग्रहण की हो उसकी छूट प्राप्त होगी बशर्ते वह निर्धारित उक्त शर्तों की शर्त क्रमांक 2 की पूर्ति करता हो , अथवा आवेदक अंधा , मूक , बधिर है और उसने अन्य किसी प्रदेश से शिक्षा ग्रहण की हो , अथवा
 3. उसने मध्यप्रदेश में स्थित किसी भी शिक्षण संस्था में निम्नलिखित परीक्षाओं में से कम से कम एक परीक्षा उत्तीर्ण की -
- क. उच्चतर माध्यमिक परीक्षा
 - ख. आठवी कक्षा की परीक्षा
 - ग. चौथी कक्षा की परीक्षा

डिण्डौरी

दिनांक - / /200

तहसीलदार

कार्यालय मोहर